



**उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-3
संख्या- 3/2026/आई/1247984/35-3-2026
लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2026
कार्यालय ज्ञाप**

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025 दिनांक 05 जनवरी, 2026 तथा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वित्त विभाग द्वारा प्राविधानित आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के अन्तर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हेतु अनुपूरक अनुदानों के मध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये-18.40 लाख (रूपये अठारह लाख चालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित जनपदों के सम्मुख वर्णित धनराशि के अनुसार, मुख्य विकास अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि हजार में)				
कोड सं०	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्य विकास अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के जनपदवार निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि	
01	02	03	04	05
	06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम	राजस्व पक्ष		
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1840.00	1-अलीगढ़	80.00
			2-देवरिया	80.00
			3-गोंडा	240.00
			4-हरदोई	80.00
			5-कुशीनगर	80.00
			6-ललितपुर	80.00
			7-महाराजगंज	80.00
			8-महोबा	80.00
			9-पीलीभीत	80.00
			10-रामपुर	80.00
			11-संतकबीर नगर	80.00
			12-संत रविदास नगर	80.00
			13-सीतापुर	80.00
			14-चंदौली	80.00
			15-सोनभद्र	80.00
			16-श्रावस्ती	80.00
			17-चित्रकूट	80.00
			18-बहराइच	80.00
			19-फतेहपुर	80.00
			20-सिद्धार्थ नगर	80.00
			21-बलरामपुर	80.00
	योग			1840.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-06-मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025 दिनांक 05 जनवरी, 2026 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
 - 3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
 - 4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन-15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के सम्बन्ध में।
 - 6- अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग।
 - 7- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1
 - 8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
 - 9- आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
 - 10- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 11- नियोजन अनुभाग-1
 - 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।